UPBJ120024882026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर
सरकार बनाम नदीम आदि
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–538/2026
मु०अ०सं०– 807/2021
धारा–498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट एवं 3/4 मुस्लिम महिला अधि०
थाना– चाँदपुर, बिजनौर।
दिनांक 29–07–2026

प्रार्थी **नदीम पुत्र नसीम** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०– 807/2021, अन्तर्गत धारा–**498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट एवं 3/4 मुस्लिम महिला अधि०** थाना **चाँदपुर,** जिला बिजनौर में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न्यायालय व थाने में भी पंजीकृत नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। वाद उपरोक्त की पीड़िता द्वारा एक प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसका अभियुक्त से समझौता हो गया है तथा उसे अभियुक्त की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह मजिस्ट्रेट विचारणीय है तथा सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले पर गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त **नदीम पुत्र नसीम,** मु०अ०सं०–807/2021, अन्तर्गत धारा–**498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट एवं 3/4 मुस्लिम महिला अधि०**, थाना **चाँदपुर**, जनपद बिजनौर द्वारा 25,000/–रूपये की एक प्रतिभू व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.07.29 16:30:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court